XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 648-I/15 .... जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-15	आवेदक अपने अधिवक्ता श्री [illegible] के साथ उप.। उनके द्वारा बताया गया कि अंतिम आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी 876-I/15 का निराकरण दिनांक 3-8-2015 को इस न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस कारण आवेदक अब इस निगरानी को (जो अंतरिम आदेश के विरुद्ध है) नहीं चलाना चाहता। अतः प्रकरण समाप्त किया जाय। विचारोपरान्त आवेदक का निवेदन स्वीकार करते हुये यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	मैं इस प्रकरण को चला नहीं देना चाहता हूँ प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। अतः प्रकरण वापिस [illegible] आवेदक [illegible] किया

निगरानी 648-I-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

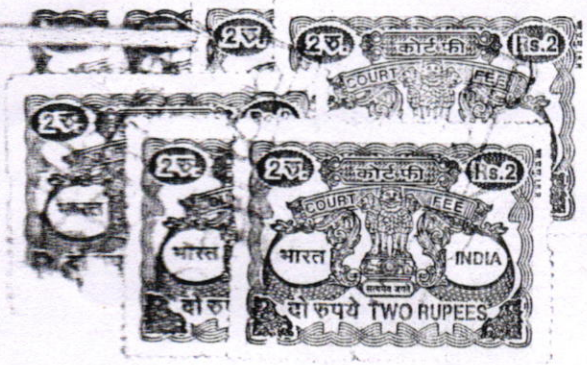

अरूण कुमार तनय महावीर प्रसाद वैद्य
आनंद कुमार उर्फ आनंद मोहन तनय महावीर प्रसाद वैद्य
निवासी बड़े पुल के पास टीकमगढ़ (म.प्र.)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. अवधेश कुमार तनय बालमुकुन्द पस्तोर ।
2. राकेश कुमार तनय बालमुकुन्द पस्तोर।
3. मनोज कुमार तनय बालमुकुन्द पस्तोर
निवासी गनेशगंज तहसील व जिला–टीकमगढ़
म.प्र. प्रति निगरानीकर्ता ।

निगरानी प्रस्तुत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील क्रमांक 490/अ–13/11–12 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा.सं. 1959 ।

महोदय,

निगरानीकर्ता अपनी विनय सादर प्रस्तुत करता है

1. यह कि निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालयों में तहसीलदार टीकमगढ़/प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़/द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर के यहां अनावेदक पक्षकार था। इस कारण आगे निगरानीकर्ता/अनावेदकगण से संबोधित किया गया है तथा प्रति निगरानीकर्ता को प्रति निगराकार/अपीलार्थी से संबोधित किया गया है।
2. यह कि प्रति निगराकार/अपीलार्थीगण/आवेदकगण ने एक आवेदन धारा 131 के अन्तर्गत नवीन रास्ता निकालने हेतु निगरानीकर्ता/अनावेदकगण की निजी भूमि खसरा नंबर' 548, 549, 550 से बनाने बावत् तहसीलदार टीकमगढ़ के यहां आवेदन दिया था। जिसे तहसीलदार ने स्थानीय जॉच एवं मौके पर उपस्थित पंचो के बयान आदि पंचनामा बनाकर जांच उपरांत प्रति निगराकार/अपीलार्थी / आवेदकगण का आवेदन दिनांक 08.08.2011 को निरस्त कर दिया था। जिसकी प्रति निगराकार/अपीलार्थी/आवेदकगणों ने प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें प्रति-निगराकार/अपीलार्थी/आवेदकगण को साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया गया था। तब प्रति निगराकार/अपीलार्थी/आवेदकगणों ने यहां तक की अपने लिखित तर्क भी प्रस्तुत नही किये थे। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2012 के पेज नंबर–4 के पैरा 3 में उल्लेख किया है कि प्रति-निगराकार/अपीलार्थी को आदेश के पूर्व लिखित तर्क प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी आज दिनांक तक कोई तर्क प्रस्तुत नही किये गये तथा प्रति निगराकार की अपील निरस्त कर दी थी।
3. यह कि प्रति निगराकार/अपीलार्थी/आवेदकगण ने द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग के यहां प्रकरण क्रमांक–490 अ–13/11–12 प्रस्तुत की जिस पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार टीकमगढ़ एवं प्रथम अपील न्यायालय का रिकार्ड तलब किया।
4. यह कि प्रति निगराकार/अपीलार्थी/आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.03.2015 को एक आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता का